

प्रगति [15/3/2021]

प्रश्न सं. [क. 4141]

फॉर्म नं. ५१६।

(5)

(1)

मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

फ्रान्क ४४७/२०११/लो.से.प्र./६१

भोपाल दिनांक १५/३/२०२१

प्रति,
सचिव कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:- मध्यप्रदेश के लोक सेवा के प्रवान की गारन्टी अधिनियम 2010 के तहत चिह्नित सेवाओं के प्रदान हेतु जिला स्तर पर जिला प्रबंधक (लोक सेवा) एवं कार्यालय सहायक का पठ निम्नान् एवं नियुक्त।

१. मध्यप्रदेश के लोक सेवा के प्रवान की गारन्टी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं नियन्त्रित अनुश्रयण में जिला कलेक्टर की ज़ाहायता हेतु प्रत्येक जिले में निम्नलिखित अनुसार एकल पठ स्वीकृत किए गए हैं।

१. जिला प्रबंधक (लोक सेवा) एक पठ]

२. कार्यालय सहायक एक पठ]

२. इन एकल पठों पर संविदा आधार पर ऊर्जेक्ट डारा नियुक्ति की जायेगी।

सुविधा की दृष्टि से इन पठों पर जर्ती के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन का प्रारूप परिशिष्ट-एक पर संलग्न है। विज्ञापन का प्रकाशन १५ जुलाई के पूर्व समाचार पत्रों में हो जायेगा।

३. इधुक अभ्यार्थीयों को संविदा नियुक्ति के लिए अपना आवेदन संघर्षित जिले में सीधे प्रस्तुत करना होगा। विभाग में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

४. जिले में प्रधार प्रसार के लिए संलग्न परिशिष्ट-२ अनुसार प्रेस विज्ञाप्ति जारी करें। १००००.

५. नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रारूप, नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्त, अनुबंध का प्रारूप इत्यादि का विवरण वेबसाईट www.sushasanmp.in पर उपलब्ध रहेगा।

६. जिला प्रबंधक (लोक सेवा) एवं कार्यालय सहायक के पठों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पठ सेवा की शर्त, चयन प्रक्रिया, शर्त आदि सुलभ रद्दर्भ हेतु संलग्न हैं। कृपया इन्हें कार्यालय, नोटिस बोर्ड पर चर्चा करें।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग (कक्षा ४ ए)

इकाइल सिंह बैसा
प्रमुख राजिग
मध्य प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मान्य भूदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय

— क्रमांक १७१

२०२०-४१५)

- जारी :-

मोपाल, दिनांक

क्रमांक एफ ३-२४/सात/शा-५/२०११ राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रबंधन की गारंटी अधिनियम, २०१० के प्रभावी प्रशासन के लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय में संविदा पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अन्त्यायी पद निर्मित किये जाते हैं :-

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	संविदा वेतन प्रतिमात्र
१	जिला प्रदेशक (लोक सेवा)	५०	२५००/-
२	कार्यपाल उपरेक्षा	५०	८५००/-

- १/- इन पर भर्ती संविदा आपार पर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी।
- २/- इन पदों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर जाने पाला व्यय भार गाग संख्या १३ मुख्य लेखा रीष २०५३ जिला प्रशासन - चप मुख्य रीष - ०९३ जिला रथामा - योजना (१५०९) जिला रथामा - ११ वेतन भत्ते - ०२५ - राजिदा कर्मचारियों का पारिस्थितिक आयोजनात्तर पद के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- ३/- इन पदों पर संविदा भर्ती प्रक्रिया, सेवा शर्तों अनुग्रह इत्यादि के संबंध में निर्देश लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

मध्यप्रदेश दो राज्यपाल द्वारा से
तथा आदेशानुसार

५१।

(८०) खलदी

अधिक सचिव

मध्य प्रदेश राज्यप्रदेश शासन

मोपाल, दिनांक १५.१.११

क्रमांक एफ ३-११/सात/शा-५/२०११

प्रतिलिपि-

१. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, मोपाल।
२. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग,
३. प्रमुख राजस्व आयुक्त, प्र०प्र०, मंत्रालय, मोपाल।
४. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मोपाल।
५. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, गवालिपर।
६. समस्त समाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
७. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
८. समस्त जिला कोवालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
९. और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खजुख विभाग (कक्ष ४ फू)

५१।
अधिक सचिव

मध्य प्रदेश राज्यप्रदेश विभाग

243

मध्य प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एक ४-६/२०१९/लोसप्र/६१
प्रति,

भोपाल, दिनांक १३/६/२०१९

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग/उज्जौ/अम/राजस्व/परिवहन/वन/गृह/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण/नगरीय
विकास एवं पर्यावरण/आदिम जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण/महिला एवं
बाल विकास/पंथायत एवं यामीण विकास/किसान कल्याण एवं कृषि विकास/छात्रवाचिक
आपूर्ति एवं उपभोक्ता भंरक्षण /लोक सेवा प्रबंधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

विषय:- संविदा पर नियुक्त प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक (लोक सेवा) के वेतन पुनरीक्षण संबंधी।

संदर्भ:- इस विभाग के परिपत्र क्रमांक ४४७/२०११/लोसप्र/६१, दिनांक १४/०७/२०११ तथा विभागीय पत्र
क्रमांक ६६१/६१/लोसप्र/२०११, दिनांक ३/१०/२०११।

प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० के तहत अधिसूचित सेवाओं के प्रभावी कार्यवाही एवं नियमित अनुश्रवण के लिए विभागों की सहायता हेतु ०१-०१ पद एवं जिला स्तर पर कलेक्टर्स की सहायता हेतु ०१-०१ पद प्रबंधक (एक मुश्त वेतन रूपये २५०००/- भासिक) एवं कार्यालय सहायक (एक मुश्त वेतन रूपये ८५००/- भासिक) की संविदा नियुक्ति शर्त की कोडिका १। अनुसार प्रत्येक वर्ष पुनःसंविदा नियुक्ति की स्थिति में गत नियुक्ति के दौरान प्राप्त वेतन में प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

आदेशानुसार कृपया लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक शी-५/२०१८/१/३, दिनांक ५ जून, २०१८ के परिपेक्ष्य में इस विभाग की सम्मति लिये बाहर उक्त पत्र कोई वेतन पुनरीक्षण न किया जाये।

कृपया यदि किसी विभाग द्वारा उनके वेतन में पुनरीक्षण किया है तो तत्सम्बंधी वानकारी से इस विभाग को अवगत कराने का कारण करें।

मानकर्ता
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग (कक्ष ४ ए)

पुरुष क्रमांक एक ४-६/२०१९/लोसप्र/६१

प्रतिलिपि:-

- १- समस्त ज़िला कलेक्टर्स, भौद्यप्रदेश,
- २- कार्यपालम संघालय, माठा० राज्य लोक सेवा अधिकारी
की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक संरक्षण हेतु अर्जेंटिंग।